A) History/City Profile (ULB/City/Town History details) –

भारत मे नगर प्रषासन का अस्तित्व तथा विकास प्राचीन समय से है। मैगेस्थनीज ने अपनी पुस्तक ''इण्डिका'' में लिखा है कि मौर्यो ं ने अपनी राजधानी पाटलीपुत्र के लिए नगर प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली विकसित की थी। मुस्लिम काल में नगर प्रशासन ''कोतवाल'' नामक अधिकारी द्वारा व्यवस्थित किया जाता था। ब्रिटिष काल में भारत में प्रचलित देशीय संस्थाओं के ढाचें को अपनाया गया था। ब्रिटिष सरकार ने सबसे पहले 1687 में मद्रास शहर के लिए नगर–निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की। इसके बाद 1793 के चार्टर एक्ट के अधीन मद्रास, कलकता तथा बम्बई तीनों महानगरों में नगर निगम स्थापित किए गए। सन् 1882 में लॉर्डरिपन के प्रस्ताव से नगर प्रषासन के विकास का द्वितीय चरण प्रारम्भ हुआ। स्थानीय सरकार के इतिहास में अन्य महत्वपूर्ण चरण 1909 में विकेन्द्रीकरण पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट से प्रारम्भ हुआ। इस कमीशन ने नगर–अधिकारियों को अधिक स्वायतता शक्तियां देने पर बल दिया जो कि 1919 के भारत सरकार क ं अधिनियम के अतंर्गत विषयों मे ं एक अधिनियम बन गया। स्वतत्रंता के पश्चात नगर प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपर्ण परिवर्तन किए गए। पिछले दो तीन दषकों के दौरान नगरीय सस्थाओ को नया प्रोत्साहन मिला। सरकारी तथा मनोनीत सदस्यों की प्रथा को समाप्त करके नगरीय सस्थाओं को अधिक लोकतान्त्रिक बनाया गया। 74 वें सविधान संशोधन के तहत नगरीय प्रशासन में निर्वाचित सदस्यो ं को पर्याप्त शक्तिया ं दी गई है।नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन क ं क्षेत्र मे ं राजस्थान कुछ अग्रणी प्रातों में रहा है। इस प्रदेश में प्रथम नगर पालिका की स्थापना आबू में 1865 में हुई थी । 1885 तक बीकानेर, जोधपुर तथा कोटा में भी नगर पालिकाऐं स्थापित की गई थी। किन्तु इन संस्थाओं पर अग्रेंजी सरकार की हुकूमत हाने के कारण ये नाम मात्र की स्वायत्तता का उपभागे कर पाती थी। स्वतंत्रता के पश्चात 22 देशी रियासतों को मिलाकर राजस्थान बना तब सामान्य काननू की आवश्यकता अनुभव की गई। 1951 में राजस्थान कस्बा नगरपालिका अधिनियम पारित किया गया जिसके अतंर्गत प्रमुख नगरों को छाडे कर सभी कस्बों की नगर पालिकाऐं शसित होन ं लगी। 1959 मे अजमेर एव ं माउटं आबू राजस्थान में सम्मिलित किये गये, तत्पश्चात राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी नगरों तथा कस्बो की नगरपालिकाओं के प्रशासन क ं लिए 1959 म ें राजस्थाननगरपालिका अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत ही राजस्थान के विभिन्न नगरों तथा कस्बो की नगर परिषदो ं और नगर पालिकाआ ें का सचांलन होता है। आज राजस्थान में लगभग 189 निकाय कार्यरत है। बाडी में नगरीय निकाय की स्थापना धौलपुर के महाराजाधिराज श्री उदयभान सिंह धौलपुर स्टेट द्वारा सन् 1910 में टाउन कॉन्सिल के रूप में की थी।